छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम् विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-03

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 08 जनवरी, 2019</u>
(पौष 18, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री मोहन भैया, लोकसभा के पूर्व सांसद, श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी, अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री, श्री शिवराज सिंह उसारे, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री रामेश्वर प्रसाद कोसरिया, अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व सदस्य एवं श्री पुष्पेन्द्र बहादुर सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री,श्री धरमलाल कौशिक,नेता प्रतिपक्ष, श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.रमन सिंह, सदस्य, श्री रविन्द्र चौबे,संसदीय कार्यमंत्री, सर्वश्री अजीत जोगी, अरूण वोरा, अमरजीत भगत, दलेश्वर साहू, सौरभ सिंह, केशव चन्द्रा ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा निधन के उल्लेख में सदस्यों के आग्रह को दृष्टिगत रखते हुये पदमश्री प्राप्त श्री श्याम लाल चतुर्वेदी, पत्रकार का नाम भी शामिल किया गया तथा अध्यक्ष महोदय ने शोकोद्गार व्यक्त किये ।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.46 बजे स्थगित होकर
11.57 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

2. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 07 जनवरी, 2019 में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं अन्य कार्य पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गयी:-

वित्तीय कार्य	**समय**
वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	3.00 घंटे
संकल्प	
राज्य के मंत्रि-परिषद के सदस्यों की संख्या 15 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत किये जाने हेतु संविधान में आवश्यक संशोधन किये जाने की पहल करने संबंधी संकल्प ।	30 मिनट

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3. व्यवस्था का प्रश्न

श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं अन्य सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत हो गया है तो पहले उस पर चर्चा होनी चाहिये, उसके बाद अनुपूरक मांगों पर चर्चा होनी चाहिये । अनुपूरक पर चर्चा स्थगित कर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कराये जाने का आग्रह किया गया ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के पश्चात् अनुपूरक मांगों पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने कथन किया कि 2010 में भी इसी परंपरा का पालन हुआ था, उसमें भी राज्यपाल के अभिभाषण के पहले चर्चा हुई थी ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -माननीय सदस्यों ने माननीय राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत होने के पश्चात उस पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा न कराते हुये पहले अनुपूरक अनुमान पर चर्चा कराने पर आपत्ति की है ।

इस संबंध में मेरी यह व्यवस्था है कि अनुपूरक अनुमान पर चर्चा हेतु मैंने दिनांक 08 जनवरी, 2019 की तिथि और कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु दिनांक 9, 10 एवं 11 जनवरी, 2019 को चर्चा कराये जाने की तिथि घोषित की है, तद्नुसार ही आज की कार्यसूची में अनुपूरक अनुमान पर चर्चा रखी गई है ।

जहॉ तक माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के पूर्व अनुपूरक अनुमान पर चर्चा कराने का प्रश्न है, इस संबंध में पूर्व में भी ऐसी व्यवस्थायें हैं कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के पूर्व अनुपूरक अनुमान पर चर्चा की गई है । इसलिये मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अमान्य करता हूं ।

तद्नुसार आज की कार्यवाही में अनुपूरक अनुमान पर चर्चा रखी गई है।

4. पृच्छा

विशेषाधिकार भंग की सूचना

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने विशेषाधिकार भग की सूचना दिये जाने का उल्लेख किया।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आपके द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना कार्यालय में आज प्राप्त हुई है, जो विचाराधीन है ।

5. बहिगर्मन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया ।

6. वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरा अनुसार सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

(सदन द्वारा सहमति दी गई)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि:-

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 44, 58, 64, 66, 67, 69, 71, 80 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर दस हजार तीन सौ पन्चानबे करोड़, अन्ठावन लाख, पच्चीस हजार, चार सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ. रमन सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री सत्यनारायण शर्मा, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमरजीत भगत, सौरभ सिंह, बृहस्पत सिंह, देवव्रत सिंह, दीपक बैज, भीमा मण्डावी, मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री डमरूधर पुजारी, दलेश्वर साहू, केशव चंद्रा,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्रीमती ममता चंद्राकर, श्री रामकुमार यादव, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, सर्वश्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर, रेखचंद जैन, कुंवरसिंह निषाद, प्रकाश शक्राजीत नायक, धर्मजीत सिंह,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए ।)

7. बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ दल एवं बहुजन समाज पार्टी दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

8. वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा(क्रमश:)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2019 (क्रमांक-1 सन् 2019)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2019 (क्रमांक-1 सन् 2019) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के सदन में आने के पश्चात् कांग्रेस पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के मध्य वाद विवाद हुआ । भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर नारे लगाये गये ।

10. नियम 250(1) के अधीन **गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन**

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, भीमा मण्डावी, विद्यारतन भसीन, रजनीश कुमार सिंह ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

निलंबित सदस्य गर्भगृह में बैठ गये ।

(निरंतर व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 6.57 बजे स्थगित की जाकर 7.21 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

11. निलंबन समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250(1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री और श्री बृजमोहन अग्रवाल ने वाद-विवाद का पठाक्षेप करते हुए खेद व्यक्त किया ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य(क्रमशः)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2019 (क्रमांक-1 सन् 2019) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

13. संकल्प

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि राज्य के वृहद क्षेत्रफल व प्रदेश के त्वरित विकास के हित में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मंत्रि-परिषद के सदस्यों की संख्या 15 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत किये जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) के प्रावधान को संशोधित करने हेतु समुचित पहल की जाए।"

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री अजय चंद्राकर, अरूण वोरा, शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंह, मोहन मरकाम
श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया

14. बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

15. संकल्प(क्रमशः)

संकल्प स्वीकृत हुआ ।

16. विलोपन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया की माननीय मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त असंसदीय शब्दों को विलोपित कर दिया गया है ।

रात्रि 8.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 9 जनवरी, 2019 (पौष-19, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा